



SPICES BOARD

(Ministry of Commerce & Industry Govt. of India)
Sugandha Bhavan
N.H.By-pass
P.B.No. 2277
Palarivattom P.O.
Kochi - 682 025, India

स्पाइसेस बोर्ड

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
सुगन्ध भवन
एन.एच.बाईपास
पी.बी. नं. 2277
पालारिवट्टम पी.ओ.
कोच्ची - 682 025, भारत

सं. प्रशा./स्थापना/जेम/परिपत्र/1220 /1236

दिनांक: 13-11-2025

परिपत्र

विषय : जेम पर लंबित आदेशों को बंद करना तथा स्पाइसेस बोर्ड के सभी कार्यालयों के जेम खरीदारों को निदेश

GeM से प्राप्त अनुस्मारक के आधार पर, यह पाया गया है कि स्पाइसेस बोर्ड के विभिन्न कार्यालयों द्वारा सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) के माध्यम से दिए गए कई क्रेता आदेश लंबित हैं। इनमें निम्नलिखित मामले शामिल हैं:

- उत्पादों/सेवाओं की आपूर्ति न होना,
- संगत सीआरएसी/सीडीएसी सृजन के बिना चालान किए गए आदेश, और
- आंशिक आपूर्ति पोर्टल पर अद्यतन नहीं की गई

स्पाइसेस बोर्ड के सभी GeM क्रेताओं को निदेश दिया जाता है कि वे ऐसे लंबित आदेशों की समीक्षा करें और GeM पोर्टल पर उपलब्ध "पूर्णआदेश निरस्तीकरण" या "आंशिक आदेश समापन" सुविधाओं का उपयोग करते हुए आवश्यक कार्रवाई करें तथा ऐसे अनुबंधों को बिना किसी देरी के बंद करें।

लंबित ऑर्डर अपडेट या बंद न करने पर GeM क्रेता खाता निलंबित किया जा सकता है, जिससे कार्ट प्रोसेसिंग, ऑर्डर प्लेसमेंट और बोली मूल्यांकन जैसी ज़रूरी गतिविधियाँ तब तक उपलब्ध नहीं हो पाएँगी जब तक अनुपालन सुनिश्चित नहीं हो जाता। लंबित और खुले ऑर्डर की स्थिति की समीक्षा उच्च सरकारी स्तरों पर की जा रही है, और लगातार गैर-अनुपालन आधिकारिक समीक्षा बैठकों में प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकता है।

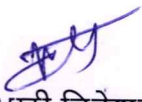
आंशिक ऑर्डर बंद करने के चरण:

1. GeM पोर्टल पर लॉग इन करें → ऑर्डर → सभी अनुबंधों
2. संबंधित ऑर्डर का चयन करें और बिना चालान वाली आपूर्ति के लिए "रद्दीकरण हेतु अनुरोध" पर क्लिक करें।
3. उचित कारण चुनें, सहायक दस्तावेज़ (यदि कोई हो) अपलोड करें, और सबमिट करें।

इसके अतिरिक्त, GeM ने अनंतिम रसीद प्रमाणपत्र (PRC) जारी होने के बाद सभी चालानों के लिए प्राप्तकर्ता रसीद एवं स्वीकृति प्रमाणपत्र (CRAC) समय पर प्रदान करने के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। यदि GEM प्राप्तकर्ता निर्धारित समय के भीतर कार्रवाई नहीं करता है, तो अनुरोधों का स्वतः निपटान किया जाता है और CRAC स्वतः उत्पन्न हो जाता है। इसलिए, सभी GeM क्रेताओं/प्राप्तकर्ताओं को सख्त निर्देश दिया जाता है कि वे यह सत्यापित करें कि आपूर्ति किया गया उत्पाद/सेवा GEM अनुबंध के अनुरूप है या नहीं और तदनुसार निर्धारित समय के भीतर CRAC/SDAC जनरेट करें, उत्पाद/सेवा को अस्वीकार करें, या उत्पाद/सेवा को आंशिक रूप से स्वीकार

करें। GEM दिशानिर्देशों के अनुसार स्वीकृत उत्पादों/सेवाओं के लिए विक्रेताओं को शीघ्र भुगतान किया जाना चाहिए ताकि ब्याज सहित विलंबित भुगतान शुल्क से बचा जा सके और GeM दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

इसके अलावा, भारत सरकार के व्यय विभाग ने एक कार्यालय ज्ञापन जारी कर के सभी खरीदारों को ऑफ़लाइन बल्क पेमेंट अपडेटिंग सुविधा के माध्यम से अपने सभी लंबित भुगतान GeM पर अपडेट करने का निर्देश दिया है। सभी खरीदारों को इन निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जाती है। सभी खरीदारों/प्राप्तकर्ताओं को यह भी सलाह दी जाती है कि वे सभी उपलब्ध विकल्पों और नियमों व शर्तों के लिए GEM पोर्टल पर उपलब्ध GEM दिशानिर्देशों का संदर्भ लें।


प्रभारी निदेशक(प्रशासन)

सेवा में,

मसाला बोर्ड के सभी कर्मचारी

प्रति:

1. निदेशक (अनुसंधान एवं वित्त)/ निदेशक (विपणन)/ निदेशक (विकास)/ क्यूईएल प्रभारी (कोच्ची)
2. ईडीपी: बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित करने के लिए।